संचिका संख्या – 16 गोशाला विकास/2012 –18.....

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार, भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना – 15, दिनांक 27-01-2015

विषयः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष विचाराधीन वाद एम0जे0सी0 संख्या 590/2014 में पारित आदेश के अनुपालन संबंध में।

प्रसंगः इस कार्यालय का पत्रांक 16 (गोशाला विकास)/2012 – 15 दिनांक 17.01.2015 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व प्रेषित पत्रांक का संदर्भ लें। उक्त पत्र के आलोक में **पटना, नालन्दा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, पूर्वी चंपारण एवं सीवान जिले के कुल 53 गोशालाओं से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।** उनमें से कई प्रतिवेदनों में सूचनाएँ पूर्ण नहीं है और कई प्रतिवेदनों में प्रासांगिक सूचनाएँ नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य में निबंधित सभी 87 गोशालाओं के संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अगली तिथि दिनांक 02.02.2015 को समर्पित की जानी है। **अतः पुनः अनुरोध होगा कि इस मामले में व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अनुमण्डल पदाधिकारियों को दिनांक 29.01.2015 के अपराह्न 6.00 बजे तक पूर्ण प्रतिवेदन ई–मेल (secyahd-bih@nic.in) के माध्यम से भेजने का निदेश देंगे और साथ ही इस कार्रवाई का अनुश्रवण भी करेंगे।**

2. यह भी महत्वपूर्ण है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.01.2015 की सुनवाई के क्रम में यह आदेश दिया है कि प्रश्नगत निबंधित गोशालाओं को अधिकतम एक माह के समय–सीमा के भीतर विधिसम्मत् ढंग से अतिक्रमण मुक्त कराकर माननीय न्यायालय को संसूचित किया जाए। आप अवगत हैं कि गोशालाओं की अतिक्रमित भूमि के संबंध में **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009** के तहत वाद दायर किए गए हैं। जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन गठित **बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली 2010** के नियम –10 (2)

में अंकित है कि इन मामलों का निष्पादन तीन माह की समय–सीमा में होना चाहिए। अतः अनुरोध होगा कि :–

(i) ऐसे सभी मामलों की स्वयं समीक्षा करते हुए मामले का विधिसम्मत् निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) जिन मामलों में न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया हो, उसका विधिसम्मत् क्रियान्वयन कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(iii) जिन मामलों में वाद दायर नहीं किया गया है, उन अनुमंडल पदाधिकारियों से कारण पृच्छा करते हुए एक प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया जा सके। साथ ही ऐसे मामलों में अविलंब मुख्य सचिव के पत्रांक 16 (गोशाला विकास) 12/86 दिनांक 05.03.2012 के द्वारा पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में वाद दायर करवाते हुए इसकी सूचना विभाग को दें।

3. अपेक्षा है कि मामले की गंभीरता के आलोक में इस पत्र पर ससमय बिन्दुवार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 16 गोशाला वि०/12-18. दिनांक 27-01-2015

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।